


बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 20.07.2015

संख्या- 1/श्रम वि०ई० 6-6020/2013 श्र०सं० 104 / श्रीमती अरुणा सिन्हा,
उप निदेशक (नियोजन), बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में
निहित प्रावधान के तहत दिनांक 18.5.15 से 07.6.15 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की
उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


20.07.15
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 6-6020/2013 श्र०सं० 104 / पटना, दिनांक- 20.07.20

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित
कोषागार/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.07.15
सरकार के उप सचिव।

20/7/15